LATE B.R.KASHYAP MEMORIAL GOVT. MEDICAL COLLEGE DIMRAPAL, JAGDALPUR (C.G.)

MBBS ADMISSION YEAR 2022

S.N.	MBBS ADMISSION YEAR 2022 Document List
1	Allotment Letter (Original Copy)
2	NEET Admit Card (Original Copy)
3	NEET Score Card & Rank Letter (Original Copy)
4	10th Mark Sheet
5	10th Pass Certificate (if available)
6	12th Mark Sheet
7	12th Pass Certificate (if available)
8	Domicile Certificate (For State Quota Admission)
9	Permanent Caste Certificate
10	Income Certificate for OBC Candidate (Last 03 Years)
11	EWS Certificate (if applicable)
12	Disability Certificate in described format (for PH Candidate)
13	Freedam Fighter Certificate/Sainik Certificate (if applicable)
14	Transfer Certificate (School/college/leaving certificate)
15	Character Certificate
16	Migration Certificate (Affidavit if not available)
17	Gap Certificate
18	Aadhar Card (Xerox Copy)
19	Medical Fitness
20	Bond for Rural Service (250 Rs Stamp)
21	Bond for Discontinuation (250 Rs Stamp)
22	Affidavit regarding Anti Ragging (Parents) (20 Rs Stamp)
23	Affidavit regarding Anti Ragging (Students) (20 Rs Stamp)
24	College Affidavit (50 Rs Stamp)
25	Attendance Affidavit (20 Rs Stamp)
26	Photographs- 6 copies
27	Four sets of Photocopy (All Certificate & Documents)
28	scanned copy (All Certificate & Documents)
29	(P.S These original documents will be preserved in the college office till completion of of course. It is adviseble to submit document on liminated file folder (16-20 Leaves)

Total 50000 Rs Demand Draft - (40000 DD Name-Autonomous Society late BRKMGMC Jagdalpur) (10000 DD Name - Dean Late BRKMGMC Jagdalpur)

Note :- - Domicile Certificate /Caste Certificate /EWS Certificate/Disability Certificate must be made before last date of counseling registration. (UG State Quota - 25 Oct 2022 & UG AIQ - 18 Oct 2022)

अनुसूची – पांच (क)

	(250 / - के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
(ড	तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य— शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड्) का प्रारूप)
1.	मैं निवासी निवासी
	छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन
	एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2.	यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "पीएमटी—" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा
	महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है ।
3.	यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांकरायपुर दिनांक
	छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर
	भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन
	सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भाँति
	समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
4.	मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता / करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को
	सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के, अधीन दो वर्षों की कालावधि तक
	अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा / करूंगी।
5.	यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो
	जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण
	करने पश्चात् किया जायेगा।
6.	यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व
	अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री
	पुत्र / पुत्री / पत्नि श्रीकी चल व अचल
	संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपयेशब्दों में (रूपए
) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की
	गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की
	जावेगी।
	7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण
	पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

- 8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चा्त् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा / करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
- 9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
- 10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा

गवाह : —				हर	ताक्षर
1	हस्तााक्षर			आवेदक /	निष्पादनकर्ता
2	हस्तासक्षर				
	आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं 1 का फोटो ,	गवाह नं. 2 का फोटो	
	आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02	
		प्रतिभूतिकर्ता			
-	Ť	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	************************	निवासी <u>.</u>	
		गतिभूति तथा बन्ध पत्र		दशा में बन्ध पत्र में	
		पत्ति से वसूल की ज			

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यिर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्यों डिशयल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

		मेरा पुत्र/पुत्री	आत्मज	/आत्मजा श्रा	
	नि	वासी छत्तीः	सगढ़ के चिकित्सा	महाविद्यालय	में स्नातक
पाठ्य	कम ((एमबीबीएस) में प्रवेश हेत् चयनित	अभ्यर्थी हूं।		
1.	भैंने	छत्तीसगढ शासन स्वास्थ्य एवं परि	रेवार कल्याण विभाग	मंत्रालय रायपुर की अ	धिसूचना क्रमांक
		दिनांक	''छत्तीसगढ़	उ चिकित्सा, दंत चिकि	त्सा एवं भौतिक
	चिवि	 हत्सा, स्नातक प्रवेश नियम –	" एवं ''निर्देशिव	ग" में निहित प्रावधानों	को भली-भांति
		र समझ लिया है।			
2.		पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य	1/आरक्षित श्रेणी का	छात्र/छात्रा है।	
3.		तद द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शत			
	(क)	मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्य	क्रम सफलता पूर्वक	पूर्ण करने के पश्चा	त्, शासन द्वार
		अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो	वर्षों की कालावधि	तक चिकित्सा अधिव	गरी के रूप मे
		शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था			
	(ख)	मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरो			ामाण पत्र जि र े
		आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वार			
		स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हे			
	(ग)	मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण	सेवापूर्ण न करने की	ो दशा में मेरे पुत्र/पु	ुत्री की स्नातक
		उपाधि व मूल अभिलेख राजसा	त किये जा सकेंगे।		
	(ঘ)	यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वि	तीय काउंसिलिंग की	प्रवेश की अंतिम तिथि	उपरान्त शिक्षण
		सत्र् हेतु एमबीबीएस	पाठ्यक्रम की प्रवेशित	सीट का परित्याग कि	या जाता है तो
		मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु	रू. 25 लाख अथवा	आरक्षिल श्रेणी हेतु रू.	20 लाख तथ
		छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि	कोई हो तो) शासन	को देय होगी।	
पता	*******				
			अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	
			का	का	हस्ताक्षर
अभिभ	ावक		फोटो	फोटो	
			अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	^	-	
Я	तः	गुत	कर्ता

	6		
举	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री		निवासी
मैंउपरोक्तानुसार शपथ पत्र के गायेगी।	उल्लंघन की दशा में शपथ प	त्र में उल्लेखित	राशि मेरे द्वारा प्रदाय की
वाह के हस्ताक्षर नाम एवं पत	ा सहित : –		
***************************************	गवाह नं.	गवाह नं.	
हस्ताक्षर	01 का	02 का	
	फोटो	फोटो	
ग्रतिभूतिकर्ता ः	4 77-77	• गवाद	
	1. गवाह	2. गवाह	नाम :
			पता :

अनुतग्नक-I

• *		छात्र का आरवास	ᅾ		
1. मैं (प्रवेश / प्रवेश / प्रव		<u>के लामार्थक पर</u>	कर परी तरह र	। समझालया छ।	•
साम्मालात है।					क्रार्वनार्ट के विषय में पूरा
सम्मिलिति हैं। 3. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.4 तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद को सक्रिय अथवा छिपे तौर से	पोत्साहित करने अध	ववा इस विषय में ब	इयन्त्र करने का	दोषी पाया जाता	Ø1
_ \ _	A 150	री 🕏 गतं शाउतासन	दता / दता ह	(4)	-
 मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्र (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथ रूप में माना जा सकता है। 	वा कृत्य में संतिप्त	नहीं हाऊगा/होउ	/- 하유 글 본 :	वसके चडयन्त्र में	अथवा उसके प्रोत्साहन
रूप में माना जा सकता है। (ख) मैं ऐसे किसी आचरण अध में शामिल होऊँगा जिस कृत्य र	वा अनाचरण के क को इन विनियमों की	ाम में ने ता माग लू । धारा 3 के अंतर्गत	रिगिंग के रूप में	माना गया है।	
 मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/र पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए त किसी चालू दण्डात्मक अथवा 	करती हूँ कि यदि [‡] था ऐसी दण्डात्मक अन्य किसी कानून व	नं दोषी पाया जाता कार्रवाई के लिए उ हे अनुसार मेरे विरुद	हूं तो इन विनय तरदायी हूँ जो वि द की जा संकती	मा का बारा छ। के अन्य किसी अ है।	घोट्साहित करने, इसको
भड़काने में अथवा इसम भाग है—और मैं यह भी प्रमाणित क क्षेत्र प्रकेश निरस्त करने का उ	लन के नानल न जरता/करती हूँ कि त्तरदायित्व मुझ पर	यदि की गई यह । होगा।	वोषणा अस्त्य पा	िकया है ना ही ई जाती है तो मु	प्रदेश से बाघित किया झे पूरी जानकारी है कि
घोषित किया गया	दिन	माह	वृष		٠.
		. •		•	रापथकर्ता के हस्तासर
•	•			•	नाम
*					
*		सत्यापन		•	
सत्यापित. किया जाता है कि यह इसमें कथित कोई भी बात ना तो	ाछपाड गड सार ग	। हा अववान करा	14 41		अंश असत्य नहीं है तथा
सत्यापित (स्थान)	दिन	माह	वर्ष		•
	•	•			रापथकर्ता के हस्तासर
		<i>:</i>			नामः
•		• •			

अनुलग्नळ-11

। भी/भीमती/सुभी _		पितार वाननावक	हारा दी गई प्रतिबद्धता		
प्रवरा/पंजीकरण/मामाव प्रवेश दिया गया है इस	हन संख्या सहित) ने राच्य शैक्षिक सं	के पिता-माता/अधिक्यानों २००० में शै	क का पूरा नाम घ भेमावक, जिसके छात्र को गेंग के जौखिम पर नियन लिया है तथा इन विनिय	्रा(संस्थ त्रण लगाने से संबद्ध य	जासा वानयमा
८ मैंने, विशिष्ट रूप से इन ।	विनियमों का अवली	किन किया है तथा	पुन्ने इस ब्रात की जानकारी	है कि रैगिंग में क्या व	ात शामिल है।
 मैंने विनियमों की धारा 7 रैपिंग की अधवा रैगिंग व के षडयन्त्र का एक हिस् भागीदार होगा/होगी, वह 	में सहायक होने की त्सा होता/होती है	ो सक्रिय अथवा छिपे तो उस स्थिति में	िकया है तथा मैं पूरी तर तौर से दोषी पाया/पाई उसके विरुद्ध जिस दण्डा	जाती है अथवा रागग	का बढ़ावा दन
।. मैं एतद्दारा सत्यनिष्ठ कप	प से प्रमाणित करत	ा∕करती हूँ एवं आ	खासन देता/देती हूँ वि	5	
(क) मेरी संतान ऐसे किर है।	सी व्यवहार अथवा	कृत्य में संतिप्त नर्ह	ों होगी जिसे विनियमों की	। घांरा 3 के अंतर्गत री	गेंग माना गया
(ख) मेरी संतान जान बूड़ ही उसे प्रोत्साहित करेगी	प्रकर अथवा भूलचूर जिसे इन विनियमी	क से ऐसे किसी कृत की धारा 3 के अंत	त्य में न तो संतिप्त होगी र्गत रैगिंग के रूप में माना	अथवा न [°] ही उसमें सह गया है।	तयक होगी ना
 एतदृद्वारा मैं यह घोषित व की घारा 9.1 के अनुसा होगा–तथा जो दण्ड मेरी अनुसार होगा। 	ार दण्ड की मांगी	दार होगा/होगी ज	रेगिंग की दोषी प्राई जाती, ो कि किसी भी अन्य अ घी कानून के अथवा वर्तमा	गपराधिक कृत्य के पूर्व	ग्रिह के बिना
a. एतद्दारा मैं यह घोषित्	करता/करती हूँ	कि यदि मेरी संतान	इस देश में विद्यमान कि	सी भी संस्थान द्वारा रै	गिंग की दोषी
अथवा उसमें सहायक हो दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया	त नहीं हुई है/हुअ	ान्त्र का एक हिस्से । 11 है तथा मैं यह मी	के रूप से दोषी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि	गरण अथवा उसे प्रोत्स	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोग्री होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि	गरण अथवा उसे प्रोत्स	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोग्री होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि	गरण अथवा उसे प्रोत्स	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोग़ी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि	गरण अथवा उसे प्रोत्स	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोग़ी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोग्री होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि 	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोगी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि वर्ष शपथक नामः पताः	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ ता के हस्ताखर	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । ग़ा है तथा मैं यह भी दिया जायेगा।	के रूप से दोषी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि वर्ष शपथक नामः	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ ता के हस्ताखर	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संदान को दिया गया • घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ 1 प्रवेश निरस्त कर •	ान्त्र का एक हिस्से । है तथा मैं यह भी दिया जायेगा। 	के रूप से दोगी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि वर्ष शपथक नामः पताः दूरभाव सं./मो.	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ ता के हस्ताखर	ाहित करने के
दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया प्रोबित किया गया सत्यापित किया जाता है कि	त नहीं हुई है/हुअ । प्रवेश निरस्त कर दिन	ान्त्र का एक हिस्से व हि तथा मैं यह भी दिया जायेगा। माह सत्याप संज्ञान में सर्वांगीण	के रूप से दोगी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि यर्ष रापधका नामः पताः दूरभाव सं./मो.	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ र्ता के हस्ताम्बर	हित करने के जाती है, वो
दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया इ घोषित किया गया	त नहीं हुई है/हुअ । प्रवेश निरस्त कर दिन	ान्त्र का एक हिस्से व हि तथा मैं यह भी दिया जायेगा। माह सत्याप संज्ञान में सर्वांगीण	के रूप से दोगी होने के व । पुष्टि करता हूँ कि यदि यर्ष रापधका नामः पताः दूरभाव सं./मो.	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ र्ता के हस्ताम्बर	हित करने के जाती है, वो
दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया इंग्रेडिंव किया गया इंग्रेडिंव किया गया है कि इसमें कथित कोई भी बात ना	त नहीं हुई है/हुअ । प्रवेश निरस्त कर 	ात्र का एक हिस्से व हिया जायेगा। दिया जायेगा। माह सत्याप संज्ञान में सर्वांगीण और ना ही अयर्थांथ	के रूप से दोग्री होने के व । पुष्टि करता है कि यदि यदे यदे याभ्यका नामः पताः दूरमाव सं./मो. रन । रूप से सत्य है तथा इस	गरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ र्ता के हस्ताम्बर	हित करने के जाती है, वो
दोब के कारण निष्कासित मेरी संवान को दिया गया इंग्रेडिंव किया गया इंग्रेडिंव किया गया है कि इसमें कथित कोई भी बात ना	त नहीं हुई है/हुअ । प्रवेश निरस्त कर 	ान्त्र का एक हिस्से व हि तथा मैं यह भी दिया जायेगा। माह सत्याप संज्ञान में सर्वांगीण	के रूप से दोग्री होने के व । पुष्टि करता है कि यदि यदे यदे याभ्यका नामः पताः दूरमाव सं./मो. रन । रूप से सत्य है तथा इस	नरण अथवा उसे प्रोत्स यह घोषणा असत्य पाइ र्ता के हस्ताखर चं:	हित करने के जाती है, वो

शपथ पत्र

1) मेरे पुत्र/पुत्री
२) यह कि महाविद्यालय में संचालित समस्त विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय में विश्वविद्यालयीन नियमानुसार कक्षाओं में उपस्थिति क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है ।
3) यदि मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के कक्षाओं में उपस्थिति मानक से कम होती है एवं यदि वह विश्वविद्यालीयन परीक्षा के लिए अपात्र किए जाते है, तो इसकी समस्त जवाबदारी अभिभावक एवं विद्यार्थी की होगी।
अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर
अभिभावक का हस्ताक्षर :-
विद्यार्थी का नाम एवं मोबाईल नम्बर
विद्यार्थी का हस्ताक्षर :
दिनांक :

50 RUPESS INDIA NON JUDICIAL STAMP AFFIDAVIT

I		S/0 ,D/0	Aged	Year	s/ Male/Female
R/o	Village-		Tah	Dist-	
Sole	nnly affir	ms and state an oath as un	der :-		

- 1. The certificates and document which I am submitting at the time of admission in this institute is true and correct.
- 2. I would not involve in any ragging activity in any manner & obey all rules and regulation of institute.
- 3. I would adhere of CG Medical & Dental Degree course Admission rule (F21-02/2018/9/55-4 Date 25/05/2018) of C.G. Govt. Medical Education Department, Mantralay Mahanadi Bhawan New Raipur & Regulation on Medical Education (Amendment) 2019, No MCI-34(41)/2019-Med./161726 New Delhi, Date 04 November 2019.
- 4. That in case, the Declaration/Certificate & Document given by me or any part of it is found to be false, then my admission will be cancelled automatically without any further information by Dean/DME/Govt. of Chhattisgarh and fees being forfeited.

VERIFICATION

I	S/O D/O	Aged	Years/ Male	e/Female
R/o Village	Teh	Dist	State	,
D. 1 1 1	lation the design	A f., N 1.2.2.4		

Do hereby declare on oath that the contents of pare No. 1,2,3,4, are and correct to the best of my knowledge and belief. Verified at Jagdalpur and signed.

Witness

- 1.
- 2.

PHYSICAL FITNESS CERTIFICATE FOR MBBS ADMISSION 2022

Photograph

NEET 2021

Signature of Candidate

Signature Gynecologist (For Female Candidate) (with Stamp)

Chairman Medical Board